

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश संख्या:

107/H/O

दिनांक: 08/11/2016

कार्यालय आदेश

‘खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किये जाने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका’

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा राज्य के ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच से मुक्ति के लिए “लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान” चलाया जा रहा है जिसे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना के प्रवधान से पूरा किया जाना है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका की कंडिका-14 में वर्णित प्रावधानों तथा संयुक्त सचिव (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक S-11011/2/2015-SBM दिनांक-09 जून, 2015 में परिभाषित ‘खुले में शौच से मुक्त’ समुदाय और पत्रांक S-11011/3/2015-SBM दिनांक-03 सितम्बर, 2015 में वर्णित ‘खुले में शौच से मुक्ति के सत्यापन की प्रक्रिया’ के आलोक में बिहार राज्य में खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है—

1. खुले में शौच से मुक्त (ODF) की परिभाषा निम्नवत् होगी—

ODF is the termination of faecal-oral transmission, defined by (a) no visible faeces found in the environment/ village; and (b) every households as well as public/ community institutions using safe technology option for disposal of faeces’

अर्थात् खुले में शौच से मुक्त समुदाय का तात्पर्य वैसे समुदाय से है, जो खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो तथा समुदाय के सभी परिवारों के सभी सदस्यों द्वारा मल/अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा हो। साथ ही उस समुदाय में मौजूद सभी सरकारी भवनों यथा विद्यालयों, आँगनवाड़ी केन्द्रों एवं पंचायत भवनों में और अन्य सामुदायिक स्थलों पर मानव मल के सुरक्षित निष्पादन की व्यवस्था हो एवं उसका उपयोग किया जा रहा हो तथा समुदाय का कोई भी सदस्य किसी भी परिस्थिति में खुले में शौच नहीं करता हो। ‘सुरक्षित तकनीकी विकल्प (safe technology option) का तात्पर्य एक व्यवस्थित उप-संरचना की इकाई से है, जो मानव मल को खुले के संपर्क से दूर रखे और समुचित पैन और पी-ट्रैप युक्त हो।

2. खुले में शौच से मुक्त (ODF) के सूचकांक निम्नवत् होंगे—

- i. वार्ड सभा के द्वारा ग्राम पंचायत के सभी वार्डों से खुले में शौच से मुक्ति की उद्घोषणा तथा यथास्थिति बनाये रखने का संकल्प;
- ii. ग्राम पंचायत में आवासित परिवारों के सभी सदस्यों के द्वारा शौचालय का नियमित रूप से व्यवहार किया जा रहा हो;
- iii. ग्राम पंचायत के अंतर्गत घर एवं बाहरी परिवेश में कहीं भी खुले में शौच दिखाई नहीं दे रहा हो;
- iv. ग्राम पंचायत अंतर्गत सभी विद्यालयों, आँगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायत भवन, आदि अन्य सार्वजनिक संस्थानों/स्थानों पर शौचालय एवं पानी की व्यवस्था हो;
- v. सभी शौचालय साफ एवं स्वच्छ हों और नियमित उपयोग में हों;

- vi. बच्चों के मल का सुरक्षित निष्पादन किया जा रहा हो;
- vii. परिवार के सभी सदस्य शौच के बाद, भोजन के पहले एवं बच्चों के मल निष्पादन के बाद साबुन से हाथ धोते हो;
3. खुले में शौच से मुक्त की परिभाषा पूरे राज्य में एक समान रूप से लागू होगी और ग्राम पंचायत को न्यूनतम संवैधानिक प्रशासनिक इकाई के रूप में जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
4. खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत के प्रमाणिकीकरण हेतु जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति सक्षम प्राधिकार होंगे।
5. **खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत की घोषणा की प्रक्रिया:**
 - i. ग्राम पंचायत के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति की घोषणा की प्रक्रिया वार्ड स्तर से प्रारंभ होगी;
 - ii. ग्राम पंचायत/वार्ड के अंतर्गत सभी वासों में रहने वाले वाले परिवार नियमित रूप से मल/अपशिष्ट के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का उपयोग करते हों;
 - iii. ग्राम पंचायत/वार्ड में रहने वाले समुदाय कंडिका-1 में परिभाषित 'खुले में शौच से मुक्त' व्यवहार को प्रदर्शित करते हो;
 - iv. खुले में शौच से मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य) वार्ड परिसीमन अंतर्गत सभी निवासियों की एक बैठक आयोजित करेंगे। बैठक में वार्ड सदस्य एवं अन्य महत्वपूर्ण निवासियों के साथ मिलकर वार्ड को खुले में शौच मुक्त घोषित करेंगे। बैठक में समुदाय सामूहिक रूप से 'स्वच्छता शपथ' और खुले में शौच से मुक्ति के उपरांत स्थिति को बनाये रखने की शपथ लेंगे।
 - v. ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य) एवं चार अन्य सामुदायिक प्रतिनिधि (जिसमें कम से कम दो महिलायें होंगी) अपने हस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र में 'खुले में शौच से मुक्ति' का घोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया को अपने लेटर पैड पर औपचारिक पत्र के साथ समर्पित करेंगे।
 - vi. ग्राम पंचायत परिसीमन के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों यथा:- हाट, बाजार, धार्मिक स्थान, आदि तथा सार्वजनिक संस्थानों यथा विद्यालय, आँगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत भवन आदि में सामुदायिक स्वच्छता परिसर/शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की गई हो।
 - vii. ग्राम पंचायत के सभी वार्ड के द्वारा 'खुले में शौच से मुक्ति' की सामुदायिक घोषणा एवं सार्वजनिक स्थानों/सांस्थानिक परिसरों में कार्यशील शौचालय सुनिश्चित किये जाने के उपरांत मुखिया के द्वारा ग्राम सभा आहूत की जायेगी, जिसमें समुदाय द्वारा यह संकल्प लिया जायेगा कि सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत के 'खुले में शौच से मुक्ति' की अवस्था को बनाया रखा जायेगा।
 - viii. ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सभी वार्ड के वार्ड सदस्य सामूहिक रूप से निर्धारित प्रपत्र में 'खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत' की घोषणा कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जिला जल एवं स्वच्छता समिति को घोषणा-पत्र समर्पित करेंगे।
 - ix. ग्राम पंचायत से प्राप्त 'खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत' के घोषणा-पत्र प्राप्त होते ही जिला जल एवं स्वच्छता समिति लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कोषांग,

जीविका को अवगत करायेंगे और घोषणा-पत्र की एक प्रति जिला स्तरीय संयुक्त जांच दल को जांच हेतु उपलब्ध करायेंगे।

- x. जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा आवेदित ग्राम पंचायतों की खुले में शौच से मुक्त की अवस्था को जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा तीन माह के लिए निगरानी में रखा जायेगा।

6. खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत के जांच की प्रक्रिया

i. पंचायत स्तर पर सत्यापन

वार्ड/गाँव के खुले में शौच से मुक्त होने के उपरांत वार्ड सदस्य द्वारा इसकी सूचना ग्राम पंचायत को दी जाएगी तदनुपरांत ग्राम पंचायत के स्तर से खुले में शौच से मुक्त वार्ड/गाँव का अंतर वार्ड/अंतर गाँव सत्यापन किया जाएगा। इसके तहत एक वार्ड/गाँव के वार्ड सदस्य/ग्राम संगठन पदधारी/निगरानी समिति के सदस्य/शिक्षक/CLTS प्रेरक आशा/आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका एवं जीविका कर्मी इत्यादि के जाँच दल के माध्यम से सत्यापन कराया जा सकता है। उक्त जाँच दल में अधिकतम 5 सदस्य होंगे। जाँच दल के गठन का दायित्व प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी। जाँच दल द्वारा वार्ड/गाँव के सभी परिवारों सभी विद्यालयों आंगनवाड़ी केन्द्रों स्वास्थ्य केन्द्रों पंचायत भवन आदि सार्वजनिक स्थल/संस्थानों में स्वच्छता सुविधा की सत्यापन की जाएगी। उक्त सत्यापन प्रखंड समन्वयक/प्रखंड परियोजना प्रबंधक/क्षेत्रीय समन्वयक/सामुदायिक समन्वयक, जीविका के पर्यवेक्षण में होगा तथा वे शत प्रतिशत सत्यापन को सुनिश्चित करेंगे।

ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डों/गाँव का अंतर गाँव/अंतर वार्ड सत्यापन में वार्ड/गाँव के खुले में शौच मुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना ग्राम पंचायतों द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति को प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से दी जाएगी।

ग्राम पंचायतों को वार्ड / गाँव के खुले में शौच मुक्त होने की सूचना प्राप्त होने के अधिकतम एक सप्ताह में इसका सत्यापन कर लिया जाएगा।

ii. जिला स्तर पर सत्यापन

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम पंचायतों के सत्यापन हेतु जिला स्तर पर संयुक्त जाँच दल का गठन किया जाएगा। जाँच दल के सदस्यों का नामांकन निदेशक लेखा, DRDA-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अनुशंसा से जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त समिति में अधिकतम 5 सदस्य होंगे। जाँच दल के सदस्यों का चयन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं/ ग्रामीण विकास विभाग/शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/स्वास्थ्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/आई.सी.डी. एस. /जीविका के सदस्य एवं अन्य Development partners इत्यादि के प्रतिनिधियों में से उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। जिला स्तर के सत्यापन में ग्राम पंचायत के सभी गाँव के न्यूनतम 5% परिवारों का random basis पर तथा सभी सरकारी भवनों में स्वच्छता सुविधा का सत्यापन किया जायेगा।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति को ग्राम पंचायत के खुले में शौच मुक्त होने की सूचना प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर इसका सत्यापन करा लिया जाएगा।

7. ग्राम पंचायत का खुले में शौच से मुक्ति हेतु प्रमाणीकरण

- i. सदस्य सचिव, जिला एवं स्वच्छता समिति एवं जिला समन्वयक संयुक्त रूप से जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को बेसलाईन सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छता योजना के लाभार्थी को दी गई प्रोत्साहन राशि का विवरण एवं भारत सरकार के IMIS पर प्रतिवेदित शौचालय निर्माण की रिपोर्ट का विवरण समर्पित करेंगे।
- ii. संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छता योजना के लाभार्थी को दी गई प्रोत्साहन राशि के विवरण के आधार पर जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति संलग्न प्रपत्र में खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत का प्रमाण जारी करेंगे अथवा ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त की स्थिति बनाये रखने के निदेश के साथ अगले तीन महीने तक निगरानी में रखे जाने का निर्देश देंगे।
- iii. जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के निर्णय से आवेदित ग्राम पंचायत एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कोषांग, जीविका को अवगत कराया जायेगा।
- iv. ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्ति का प्रमाण-पत्र (प्रपत्र-3) संबंधित ग्राम पंचायत में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर प्रदान किया जायेगा।

8. राज्य स्तर पर पार-सत्यापन (Cross Verification)

- i. जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा प्रतिवेदित खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों का क्रम रहित (random) चयन कर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, कोषांग, जीविका द्वारा राज्य स्तर पर स्वतंत्र एजेंसी/ तृतीय पक्ष का चयन कर उनके माध्यम से पार-सत्यापन (cross verification) करवाया जायेगा।
 - ii. चिह्नित एजेंसी/तृतीय पक्ष के द्वारा चिह्नित ग्राम पंचायत का औचक भ्रमण किया जायेगा और ग्राम पंचायत द्वारा किये गये घोषणा का सत्यापन प्रपत्र-4 में वर्णित अनुदेश के अनुसार किया जायेगा।
 - iii. भ्रमण के उपरांत चिह्नित एजेंसी/तृतीय पक्ष के द्वारा भ्रमण प्रतिवेदन जिला छोड़ने के पूर्व जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को समर्पित किया जायेगा और उसकी प्रति मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को भी समर्पित की जायेगी।
 - iv. ग्राम पंचायत के पार-सत्यापन में खुले में शौच से मुक्त की स्थिति नहीं पाये जाने की स्थिति में, जिला पदाधिकारी सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत से 'खुले में शौच से मुक्ति' की स्थिति को स्थगित करने की अनुशंसा जिला जल एवं स्वच्छता समिति से करेंगे और ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु आवश्यक सुझाव देंगे।
 - v. ग्राम पंचायत के पार-सत्यापन में सफल पाये जाने की स्थिति में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की ओर से ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
9. उपरोक्त प्रक्रिया एवं निदेश को संशोधित करने का सभी अधिकार ग्रामीण विकास विभाग को होगा।


(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक: 107/1470

दिनांक: 08/11/2016

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति/सभी उपविकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल स्वच्छता समिति/सभी निदेशक, लेखा, डी.आर.डी. ए.-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति /सभी जिला समन्वयक (SBM-G) , जिला जल एवं स्वच्छता समिति/सभी जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक: 107/1470

दिनांक: 08/11/2016

प्रतिलिपि: मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका-सह-मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक: 107/1470

दिनांक: 08/11/2016

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक: 107/1470

दिनांक: 08/11/2016

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक: 107/1470

दिनांक: 08/11/2016

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक: 107/1470

दिनांक: 08/11/2016

प्रतिलिपि : मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव

खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों के सत्यापन हेतु प्रपत्र

सामान्य अनुदेश: खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत के सत्यापन के दौरान गृहवार प्रश्न संख्या 1, 2, 3 एवं 4 के उत्तर हाँ (✓) में आने अनिवार्य है। साथ ही, ग्राम आधारित सर्वेक्षण के प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 11 एवं 12 के भी उत्तर हाँ (✓) में होने चाहिए।

(क) गृह सर्वेक्षण

क्रम	मानदण्ड	हाँ (✓)/नहीं (X)
1.	शौचालय सुविधा की उपलब्धता (Access to toilet facility)	
2.	शत प्रतिशत उपयोग (100% usage)	
3.	ट्टी पर मिट्टी (Fly-Proofing of toilet)	
4.	मल का सुरक्षित निपटान (Safe septage disposal)	
5.	खाने के पहले हाथ धुलाई (Hand-washing before meal)	
6.	शौच के बाद साबुन से हाथ धुलाई (Hand-washing with soap after कमिबंजपवदद)	
7.	शौचालय में या इसके आस-पास साबुन एवं पानी की उपलब्धता (Availability of soap and water in or near the toilet)	

(ख) ग्राम सर्वेक्षण

क्रम	मानदण्ड	हाँ (✓)/नहीं (X)
8.	गाँव/पास-पड़ोस में खुले में मल का दिखाई देना (No visible faeces found in the environment/village)	
9.	विद्यालय शौचालय का नियमित उपयोग (Proper usage of School toilet)	
10.	विद्यालय शौचालय में मल का सुरक्षित निपटान (Safe confinement of excreta in school toilet)	
11.	आँगनवाड़ी शौचालय का नियमित उपयोग (Proper usage of Anganwadi toilet)	
12.	आँगनवाड़ी शौचालय में मल का सुरक्षित निपटान (Safe confinement of excreta in Anganwadi toilet)	

खण्ड (क) में वर्णित मानदण्ड के लिए चेकलिस्ट

गृह सर्वेक्षण

क्रम	मानदण्ड	परामर्शित प्रश्न	उत्तर	हाँ (✓)/नहीं (x)
1.	शौचालय सुविधा की उपलब्धता (Access to toilet facility)	परिवार के सभी सदस्यों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है	i. घर में अपना शौचालय ii. घर के बाहर अपना शौचालय iii. घर में दूसरे परिवार के साथ साझा शौचालय iv. सामुदायिक शौचालय v. सार्वजनिक शौचालय vi. कोई शौचालय नहीं	
2.	शत प्रतिशत उपयोग (100% usage)	क्या परिवार का कोई सदस्य कुछ समय के लिए खुले में शौच करते हैं?	i. हाँ ii. नहीं	
3.	मक्खीरोधक शौचालय (Fly-Proofing of toilet)	क्या कोई मक्खीरोधक शौचालय है	i. शौचालय में जलबन्ध है ii. शौचालय किसी भी प्रकार से ढका है iii. शौचालय में उपरोक्त किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है	
4.	मल का सुरक्षित निष्पादन (Safe septage disposal)	शौचालय के मल का निष्पादन कैसे किया जाता है	i. शौचालय मल सीधे खुले गड्ढे, खुले नाली, नाला, तालाब या नदी में बहाया जाता है ii. शौचालय बंद नाले से जुड़ा है जो बिना उपचार के खुले क्षेत्र, तालाब, नाला, नदी, आदि में खाली किया जाता है iii. शौचालय बंद नाले से जुड़ा है जो उपचारित कर खुले क्षेत्र, तालाब, नाला, नदी, आदि में खाली किया जाता है iv. शौचालय सेप्टिक टैंक से जुड़ा है और टैंक की ओवरफ्लो पाईप सीधे नाली, तालाब, नाला और नदी में खाली होता है v. शौचालय सेप्टिक टैंक से जुड़ा है और टैंक की ओवरफ्लो पाईप एक अलग सोक पिट में खाली होती है vi. शौचालय दो पिट से जुड़ा है	

क्रम	मानदण्ड	परामर्शित प्रश्न	उत्तर	हाँ (✓)/नहीं (x)
			vii. शौचालय उपरोक्त में वर्णित संरचना से नहीं आता है, परन्तु सुरक्षित है	
5.	खाने के पहले हाथ धुलाई (Hand-washing before meal)	क्या परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के पहले हाथ धोते हैं?	i. हाँ ii. नहीं	
6.	शौच के बाद साबुन से हाथ धुलाई (Hand-washing with soap after defecation)	क्या परिवार के सभी सदस्य शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं?	i. हाँ ii. नहीं	
7.	शौचालय में या इसके आस-पास साबुन एवं पानी की उपलब्धता (Availability of soap and water in or near the toilet)	भौतिक निरीक्षण	i. शौचालय में या इसके आस-पास साबुन एवं पानी की उपलब्ध है ii. शौचालय में या इसके आस-पास साबुन एवं पानी की उपलब्ध नहीं है	

'नवजात/बच्चे की स्थिति में यह प्रश्न करें कि बच्चों के मल का निष्पादन किस प्रकार किया जाता है?

i.	घर के आसपास के रास्तों, सड़कों या खुले स्थान में फेंका जाता है।	
ii.	शौचालय में फेंका जाता है।	

खण्ड (ख) में वर्णित मानदण्ड के लिए चेकलिस्ट

ग्राम सर्वेक्षण

क्रम	मानदण्ड	परामर्शित प्रश्न	उत्तर	हाँ (✓)/नहीं (X)
8.	गाँव/पास-पड़ोस में खुले में मल का दिखाई देना (No visible faeces found in the environment/village)	भौतिक निरीक्षण	i. गाँव में या इसके आस-पास खुले में मल नहीं दिखता है ii. कुछ स्थानों में या आस-पास के गाँव में खुले में शौच दिखाई देते हैं तथा कुछ स्थानों पर या गाँव में दुर्गंध है iii. खुले में शौच आम है, गाँव में या आस पास कई स्थानों पर मल दिखाई दे रहा है	
9, 11	विद्यालय/ऑंगनवाड़ी शौचालय का नियमित उपयोग (Proper usage of School/Anganwadi toilet)	भौतिक निरीक्षण	i. शौचालय ध्वस्त/अनुपयोगी है ii. शौचालय का रखरखाव सही से नहीं किया जा रहा है और शौचालय में मल ऊपरी तौर पर दिख रहा है; पानी की उपलब्धता नहीं है; ऐसा प्रतीत होता है कि शौचालय का प्रयोग कभी-कभी होता है iii. शौचालय का नियमित उपयोग हो रहा है, इसके अन्दर या पास में पानी उपलब्ध है	
10, 11	विद्यालय/ऑंगनवाड़ी शौचालय में मल का सुरक्षित निपटारा (Safe confinement of excreta in School/Anganwadi toilet)	भौतिक निरीक्षण	i. शौचालय मल सीधे खुले गड्ढे, खुले नाली, नाला, तालाब या नदी में बहाया जाता है ii. शौचालय बंद नाले से जुड़ा है जो बिना उपचार के खुले क्षेत्र, तालाब, नाला, नदी, आदि में खाली किया जाता है iii. शौचालय बंद नाले से जुड़ा है जो उपचारित कर खुले क्षेत्र, तालाब, नाला, नदी, आदि में खाली किया जाता है iv. शौचालय सेप्टिक टैंक से जुड़ा है और टैंक की ओवरफ्लो पाईप सीधे नाली, तालाब, नाला और नदी में खाली होता है v. शौचालय सेप्टिक टैंक से जुड़ा है और टैंक की ओवरफ्लो पाईप एक अलग सोक पिट में खाली होती है vi. शौचालय दो पिट से जुड़ा है vii. शौचालय उपरोक्त में वर्णित संरचना से नहीं आता है, परन्तु सुरक्षित है	

खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों के सत्यापन हेतु चेक लिस्ट

जिला		प्रखण्ड		ग्राम पंचायत	
वार्ड सं		मुखिया का नाम		सचिव का नाम	

ग्राम पंचायत की आधारभूत सूचनाएं

कुल परिवार		बी.पी.एल.		ए.पी.एल.	
शौचालय युक्त परिवार		शौचालय विहीन परिवार			
प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या					
भारत सरकार के प्लै पर प्रतिवेदित परिवारों की संख्या					

शौचालय विहीन परिवारों का विवरण, जिन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है-

बी.पी.एल.	ए.पी.एल.					
	अनु.जा./अनु.जनजा.	मध्यम एवं मंझोले किसान	भूमिहीन मजदूर	विकलांग प्रधान	महिला प्रधान	अन्य

भौतिक उपलब्धि विवरण

क्रम	योजना/लक्ष्य	संख्या
1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लाभार्थी की संख्या:	
2	लोहिया स्वच्छता योजना के लाभार्थी की संख्या:	
	कुल	

वित्तीय उपलब्धि विवरण

वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) रु. 12,000 लाभार्थी	लोहिया स्वच्छता योजना रु. 12000 लाभार्थी	कुल
शब्दों में		

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत.....को समुदाय के द्वारा दिनांक .
..... को आयोजित आम सभा में खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत के सभी लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है और प्रतिवेदन भारत सरकार के प्लै पर प्रतिवेदित है।

(.....)

सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति
जिला का नाम:.....

दिनांक:



खुले में शौच से मुक्ति का घोषणा-पत्र

मैं..... वार्ड सदस्य, ग्राम
 पंचायत....., वार्ड संख्या..... एतद
 द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे वार्ड में कुल परिवार
 हैं। वार्ड के निवासी परिवारों के सभी सदस्य खुले में शौच नहीं
 करते हैं और नियमित रूप से शौचालय का प्रयोग करते हैं।
 बच्चों के मल का सुरक्षित निष्पादन किया जाता है और परिवार
 के सभी सदस्य शौच के बाद, भोजन के पहले एवं बच्चों के
 मल निष्पादन के बाद हाथ धोते हैं।

दिनांक को आयोजित वार्ड सभा में वार्ड के
 निवासियों ने संकल्प लिया है कि खुले में शौच से मुक्ति की
 यथास्थिति बनाई रखी जायेगी और परिवार बढ़ने की स्थिति में
 स्वयं परिवार द्वारा शौचालय का निर्माण किया जायेगा।

(.....)

वार्ड सदस्य का पूरा नाम:

ग्राम:

वार्ड संख्या:

ग्राम पंचायत:

प्रखंड:

जिला:

दिनांक:

(मुखिया द्वारा भरा जायेगा)

खुले में शौच से मुक्ति का घोषणा-पत्र

मैं..... मुखिया, ग्राम पंचायत
एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे ग्राम
 पंचायत वार्ड है और परिवार हैं। ग्राम
 पंचायत के निवासी परिवारों के सभी सदस्य खुले में शौच नहीं
 करते हैं और नियमित रूप से शौचालय का प्रयोग करते हैं।
 बच्चों के मल का सुरक्षित निष्पादन किया जाता है और परिवार
 के सभी सदस्य शौच के बाद, भोजन के पहले एवं बच्चों के
 मल निष्पादन के बाद हाथ धोते हैं।

दिनांक को आयोजित ग्राम पंचायत की आम
 सभा में वार्ड के निवासियों ने संकल्प लिया है कि खुले में शौच
 से मुक्ति की यथास्थिति बनाई रखी जायेगी और परिवार बढ़ने
 की स्थिति में स्वयं परिवार द्वारा शौचालय का निर्माण किया
 जायेगा।

(.....)

मुखिया का पूरा नाम:

ग्राम पंचायत:

प्रखंड:

जिला :

दिनांक:

